रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 1975/श्रावण 8, 1897
No. 279] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 1975/SRAVANA 8, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Heavy Industry)

ORDER

New Delhi, the 30th July 1975

S.O. 394(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Scooters (Distribution and Sale) Control Order, 1960, namely :—

1. (1) This Order may be called the Scooters (Distribution and Sale) Control (Second Amendment) Order, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In clause 2 of the Scooters (Distribution and Sale) Control Order, 1960 (hereinafter referred to as the said Order), for sub-clause (d), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(d) 'scooter' means a scooter of any of the descriptions specified below, manufactured or assembled in India, or manufactured in India from components imported into India or manufactured in India, or partly imported and partly manufactured in India :

(i) Bajaj;

(ii) Lambretta;

(iii) Vijai Deluxe;".

3. In clause 5 of the said Order,—

(i) in sub-clause (1), for the words and figures "in the Schedule I, or, as the case may be, Schedule II to this Order", the words 'in the Schedule to this Order" shall be substituted;

(ii) in sub-clause (2), for the words, abbreviation and figures "a sum not less than Rs. 1,000 in the case of three wheeler and Rs. 500 in any other case", the words, abbreviation and figures "a sum not less than Rs. 500" shall be substituted.

4. Clause 7A of the said Order shall be omitted.

5. In Schedule I to the said Order, for the heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"THE SCHEDULE

See clause 5(1)

Application for the purchase of scooter".

6. Schedule II to the said order shall be omitted.

[No. F. 9/38/71-AEI(III)]

S. M. GHOSH, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1975

का० आ० 394 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्कूटर (वितरण और विक्रय) नियन्त्रण आदेश, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम स्कूटर (वितरण और विक्रय) नियन्त्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1975 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. स्कूटर (वितरण और विक्रय) नियन्त्रण आदेश, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खण्ड 2 में उपखण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(घ) 'स्कूटर' से नीचे विनिर्दिष्ट प्रकारों में से किसी प्रकार का स्कूटर अभिप्रेत है जिसे भारत में विनिर्मित किया गया हो या जोड़ा गया हो या भारत में आयातित या भारत में विनिर्मित घटकों द्वारा विनिर्मित किया गया हो या भागतः आयातित हो और भागतः भारत में विनिर्मित किया गया हो :—

(i) बजाज ;

(ii) लम्ब्रेटा ;

(iii) विजय डीलक्स ;"

3. उक्त आदेश के खण्ड 5 में,—

(i) उपखण्ड (1) में, "इस आदेश की यथास्थिति, अनुसूची 1 या अनुसूची 2 में" शब्दों और अंकों के स्थान पर "इस आदेश की अनुसूची में" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उपखण्ड (2) में, "तीन पहिए वाली गाड़ी की दशा में 1000 रु० से अन्यून और किसी अन्य दशा में 500 रु० से अन्यून की राशि" शब्दों, अंकों और संक्षेपाक्षर के स्थान पर "500 रु० से अन्यून की राशि" अंक, संक्षेपाक्षर और शब्द रखे जाएंगे ।

4. उक्त आदेश के खण्ड 7क का लोप किया जाएगा ।

5. उक्त आदेश की अनुसूची 1 में, शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"अनुसूची

खण्ड 5(1) देखिए

स्कूटर के क्रय के लिए आवेदन"

6. उक्त आदेश की अनुसूची 2 का लोप किया जाएगा ।

[सं० 9/38/71-ए०ई० आई० (3)]

एस० एम० घोष, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976